

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(04) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 29/7/25

:: आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं गवर्नमेंट काउन्सिल्स को विभागों का आवंटन किया गया था।

उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.25 की निरन्तरता में श्री महावीर विश्‍नोई, अतिरिक्त महाधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा श्री विज्ञान शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में वित्त विभाग की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

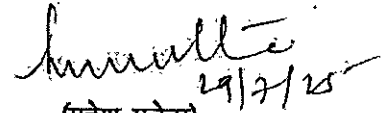
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

हूँ

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष को लेख है कि आपके विभाग से संबंधित न्यायालय प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व विधि अधिकारी से प्राप्त कर संबंधित विधि अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु संबंधित प्रकरण प्रभारियों/नोडल ऑफिसर्स को अविलम्ब निर्देशित किये जाने का श्रम करावे।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
7. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण, जोधपुर/जयपुर।
9. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल्स, जोधपुर/जयपुर।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. संबंधित कोषाधिकारी।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
17. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव